दि० 9.4.18

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित
आज सुनवाई हुई
अतः पत्रावली इलाका कलक्टर दिनांक
3-7-2018 को पेश हो।

श्री आशुतोष चतुर्वेदी मंत्री जी राज० के
प्रो. टी.सी. मजिस्ट्रेट में व्यस्त है।

रा.वाद 51/12
नारायणलाल/लालचंद

दि० 28.5.2018 आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्यार्थीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की हित से आज 210 कि०मी० के मध्य मोहब्बतनगर में मेरे समक्ष पेश हुई। विद्यार्थीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान उभय पक्षकारान उप०/संबंधित पटवारी उपस्थित मोहब्बतनगर ने संयुक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा रूबरू पेश किया। संयुक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा रूबरू का पक्षकारान को अवलोकन कराया जिस पर उन्होंने संयुक्त बंटवारा प्रस्ताव मार्फत पावरनामा दिनांक 10.5.2013 की रामता में वादग्रस्त भूमि के बटवारा सम्बन्धी में खातेदारान के एक एक हिस्से को मुताबिक बाय मेटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर सही होना बताया है। अतः अधिनस्थ पटवारी मिसलमुताबिक फाईनल डिक्री जारी करने हेतु नोट सुपरिन्टेन्डेन्ट पेपर अग्रेषित करने पर उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर फाईनल डिक्री जारी हो। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर सहीशुदा शिरोही के हस्ताक्षर नहीं होने से हस्ताक्षर करवाये जावें।

सहायक कलेक्टर
शिरोही (राज०)